कार्यकारी सारांश (सामाजिक निगरानी रिपोर्ट - ऋण संख्या - 3365-IND)

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड), देश की केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता (सीटीयू), पूर्ण अंतर-राज्य संचरण प्रणाली पर योजना, समन्वय, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जनादेश के साथ विद्युत संचरण में लगी हुई है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और ग्रिड स्ट्रेंथेनींग प्रोजेक्ट ("परियोजना") की योजना नवीकरणीय ऊर्जा के स्थानांतरण की सुविधा के साथ-साथ अंतरक्षेत्रीय संयोजकता बढ़ाने के लिए की गई है। यह परियोजना भारत की 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर' पहल का एक उप-समूह है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ट्रांसमिशन सिस्टम विकास समय के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकास के अनुरूप है और दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रीय प्रणालियों के बीच अंतरक्षेत्रीय संचरण क्षमता भी बढ़ाएगा।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) $1000 मिलियन की कुल वित्तीय सहायता (ऋण संख्या -3365-IND के तहत 500 मिलियन अमरीकी डालर का सार्वभौमिक ऋण और ऋण संख्या -3375-IND के तहत $ 500 मिलियन गैर-सार्वभौमिक ऋण) के साथ कहा गया परियोजना का समर्थन कर रहा है। ऋण संख्या -3365-IND और ऋण सं। 3375-IND क्रमशः 30 जून, 2021 और 31 अगस्त, 2021 को ऋण समाप्ति तिथि के साथ 22 मार्च, 2017 और 24 नवंबर, 2017 से प्रभावी हो गया है।

इस परियोजना में शामिल उप-परियोजनाओं में ईएचवी लाइनों के निर्माण और छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान और पंजाब में फैले विभिन्न राज्यों के विभिन्न वोल्टेज स्तरों के संबंधित सबस्टेशन शामिल हैं। इसमें विभिन्न वोल्टेज (765 कीवो / 400 कीवो / 320 कीवो वीएससी आधारित एचवीडीसी) के 1216 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन के साथ संबंधित 5 नए सबस्टेशंस (रायगढ़ और पुगलूर में ± 800 कीवो एचवीडीसी टर्मिनल स्टेशन, प्यूगलूर और नॉर्थ थ्रिसुर में ± 320 कीवो एचवीडीसी टर्मिनल स्टेशन और बीकानेर में 765/400 कीवो सबस्टेशन) शामिल है।

परियोजना को पावरग्रिड की पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रियाओं (ई.एस.पी.पी.) और एडीबी के सुरक्षा नीति विवरण, 2009 के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सहमत अनुबंध समझौते के अनुसार विभिन्न अनुबंध और प्रोजेक्ट विशिष्ट सुरक्षा दस्तावेजों (आई.ई.ई. / सी.पी.टी.डी. / ई.एम.पी.) में किए गए प्रावधान जिन्हें ढांचे के अनुसार तैयार और खुलासा किया गया है, भी इस परियोजना पर लागू होते है। परियोजना को ए.डी.बी के एस.पी.एस के अनुसार पर्यावरण श्रेणी 'बी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस दूसरा अर्ध-वार्षिक सुरक्षा निगरानी रिपोर्ट, जनवरी-जून 2018 की अवधि के लिए ऋण अनुबंधों के तहत सहमत रिपोर्टिंग ढांचे का हिस्सा है।

प्रस्तावित 6 सबस्टेशन के लिए जमीन के चयन से शुरू होने वाले सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। इस प्रस्तावित 6 सबस्टेशन के लिए कुल 411.36 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जिसमे से 266.46 एकड़ भूमि सरकारी भूमि है जिसमें कोई परियोजना प्रभावित व्यक्ति नहीं है (पी.ए.पी.) और किसी भी प्रतिकूल सामाजिक मुद्दों के बिना पावरग्रिड के पास स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रस्तावित पगलूर एचवीडीसी टर्मिनल (दोनों ± 800 केवी और ± 320 केवी के लिए) के लिए 144.90 एकड़ निजी भूमि की आवश्यकता है, जो अनैच्छिक अधिग्रहण के बिना वार्ताबद्ध दर पर इच्छुक खरीदार-इच्छुक विक्रेता आधार के माध्यम से खरीदा गया था। चूंकि भूमि का कोई अनैच्छिक अधिग्रहण नहीं हुआ है और कोई परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) में तत्काल परियोजना में पुनर्वास और पुनर्वास / पुनर्वास कार्य योजना से संबंधित मुद्दों प्रत्याशित नहीं है।

देशबिधि के अनुसार, ट्रांसमिशन लाइन के लिए कोई भूमि अधिग्रहण नहीं की जाती है लेकिन विद्युत अधिनियम, 2003 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिया जाता है। पावरग्रिड पारेषण लाइनों के निर्माण के दौरान स्थायी फसलों और पेड़ों को

नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है, तथापि, नुकसान के मामले में, प्रभावित भूमि मालिकों / किसानों को राजस्व प्राधिकरण/ सक्षम प्राधिकारी के उचित मूल्यांकन के बाद स्थायी फसलों / पेड़ों के नुकसान का मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है। तदनुसार, जून, 2018 तक तत्काल परियोजना में, कुल 1896 व्यक्तियों को 788.96 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त फसलों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए थे और कुल मुआवजे रु 38.10 मिलियन, प्रभावित किसानों / भूमि मालिकों (नींव के दौरान 17.37 मिलियन और निर्माण के दौरान 17.95 मिलियन और स्ट्रिंग के दौरान 2.78 मिलियन रुपये) का भुगतान किया गया। इसी तरह, जून 2018 तक 277 पेड़ों के नुकसान के खिलाफ कुल मुआवजे रु 0.74 मिलियन का भुगतान किया गया है। इसके अलावा आरओडब्ल्यू के मुआवजे से सम्बंधित विद्युत् मंत्रालय द्वारा 15 अक्टूबर, 2015 को जारी दिशानिर्देश के अनुपालन में पावरग्रिड उन राज्यों में टावर फुटिंग और आर.ओ.डब्ल्यू. कॉरिडोर के लिए भूमि मुआवजे का भुगतान करेगा, जिन्होंने दिशानिर्देशों को अपनाया है।

ईएमपी में सूचीबद्ध परियोजना विशिष्ट शमन उपायों, जो अनुबंध दस्तावेजों का भी हिस्सा है, परियोजना के विभिन्न चरणों में उचित रूप से लागू किया जा रहा है और उचित कार्यान्वयन के लिए नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। ईएमपी में उल्लिखित पहचाने गए प्रभावों के अलावा, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण रिपोर्टिंग अवधि में कोई अन्य अप्रत्याशित प्रभाव नहीं देखा गया / रिपोर्ट किया गया।

दो-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र शिकायतकर्तायें की चिंताओं और शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित / हल कर रहा है। प्रभावित व्यक्तियों / जन साधारण की सभी चिंताओं / शिकायतों (मामूली शिकायतों सहित) को दर्ज किया जाता है और नियत समय सीमा के भीतर उनके निपटारे के लिए नियमित प्रयास किया जाता है। इसके अलावा, पेड़ और फसल मुआवजे की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, पावरग्रिड अधिकारी भी प्रभावित किसानों की शिकायतों को सुनते हैं और प्रभावित लोगों की चिंताओं को कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

पावरग्रिड सामाजिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का पूरी तरह से बचत करते हुए प्रस्तावित सबस्टेशन के लिए जमीन के चयन से शुरू होने वाले सामाजिक प्रभावों को कम करने का प्रयास करता है। इसके अलावा, परियोजना से जुड़े सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। पावरग्रिड क्षेत्रों और समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और अभिन्न विकास के लिए परिचालन के अपने क्षेत्रों में और उसके आसपास में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) गतिविधियों के तहत विभिन्न आवश्यकता आधारित सामुदायिक विकास कार्य भी कर रहा है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए तत्काल निवेश के पास निकटवर्ती समुदाय में कई सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कहा गया परियोजना के कारण किसी भी अस्थायी परेशानी का संतुलन करेगा।